संख्या–75/ XXIV(3) /2005

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद,
देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 16 फरवरी,2005

विषयः– **सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 में नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र के पदों का सृजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– रा0प0नि0/1536/पद सृजन –3 (2)/2004–05 दिनांक 12–1–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–315/ XXIV(3) /2004 दिनांक 9–12–2004 द्वारा निम्नानुसार पद सृजित किये गये थेः–

क. स.	जनपद	सहायक अध्यापक		शिक्षा मित्र रू0 3000 नियत, प्रतिमाह	सी0आरसी समन्वयक् वेतनमान रू0 5500–9000
		वेतनमान रू0 4500–7000	वेतनमान रू0 5500–9000		
1	2	3	4	5	6
1	अल्मोड़ा	15	30	21	–
2	रूद्रप्रयाग	10	03	10	–
3	उधमसिंहनगर	14	27	26	–
4	बागेश्वर	–	48	–	–
5	चम्पावत	–	51	18	06
6	देहरादून	–	–	57	–
7	नैनीताल	–	15	10	–

8	पिथौरागढ	—	—	25	36
9	पौड़ी	—	09	—	—
10	टिहरी	—	—	37	22
11	उत्तरकाशी	—	18	02	11
12	हरिद्वार	—	—	—	06
	योग	**39**	**201**	**206**	**81**

2— लेकिन उक्त शासनादेश दिनांक 9—12—2004 में शिक्षा मित्र के 39 पद और अतिरिक्त अध्यापक (वेतनमान रू0 5500—9000) के कुल 167 पद त्रुटिवंश आपस में जुड़ कर शिक्षा मित्र के 206 पद सृजित हो गये थे।

3— अतः उक्त त्रुटि को संशोधित किये जाते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004—05 में नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र के पदों का सृजन निम्नवत् किया जाता है:—

क्र स	जनपद	सहायक अध्यापक		अतिरिक्त अध्यापक	शिक्षा मित्र रू0 3000 नियत प्रतिमाह	सीआरसी समन्वयक्
		वेतनमान रू0 4500—7000	वेतनमान रू0 5500 — 9000	वेतनमान रू0 5500 —9000		वेतनमान रू0 5500—9000
1	अल्मोड़ा	15	30	6	15	—
2	रूद्रप्रयाग	10	03	0	10	—
3	उधमसिंहनगर	14	27	12	14	—
4	बागेश्वर	—	48	0	—	—
5	चम्पावत	—	51	18	—	06
6	देहरादून	—	—	57	—	—
7	नैनीताल	—	15	10	—	—
8	पिथौरागढ	—	—	25	—	36
9	पौड़ी	—	09	0	—	—
10	टिहरी	—	—	37	—	22
11	उत्तरकाशी	—	18	2	—	11
12	हरिद्वार	—	—	0	—	06
	योग	**39**	**201**	**167**	**39**	**81**

4— उक्त शासनादेश दिनांक 9—12—2004 के शेष अन्य प्रस्तर यथावत रहेंगे। उक्त शासनादेश दिनांक 9—12—2004 इस सीमा तक यथासंशोधित समझा जायें।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—397/वित्त अनु0—4/2005 दिनांक 9—2—2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
3— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5— समस्त कोषाधिकारी, देहरादून।
6— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल (निदेशक विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से)।
7— वित्त अनुभाग—4/ नियोजन अनुभाग।
8— राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाइल।

संलग्नक—यथोपरि।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।